

44
श्री-तम मसि 10.11.2016

न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, राज., जयपुर।
(हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर)

क्रमांक :- ओ.एस.डी./नविवि/16/1374

दिनांक :- 14-10-2016

:- अवार्ड :-

विषय :- केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 11 संपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(क) के तहत राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्राम लक्ष्मणपुरा एवं गोवाड़ी, तहसील-सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर में कुल रकबा 07-15 बीघा का अवार्ड जारी करने बाबत।

संदर्भ :- अधिसूचना क्रमांक प.7(32)नविवि/3/11 जयपुर दिनांक 04.08.2011

राजस्थान आवासन मण्डल हेतु सार्वजनिक हित में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि अवाप्ति की अधिसूचना ग्राम लक्ष्मणपुरा एवं गोवाड़ी, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर में कुल रकबा 07-15 बीघा के लिए अन्तर्गत धारा 4(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.08.2011 को जारी की गयी जिसमें भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(2) के तहत विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को भूमि अधिग्रहण हेतु अधिकृत किया गया। उक्त अधिसूचना का दिनांक 10.08.2011 को राजस्थान राज-पत्र के विशेषांक में प्रकाशन कराया गया। इसी प्रकार अधिसूचना का दो समाचार-पत्रों "दैनिक नवज्योति" दिनांक 02.11.2011 को अजमेर संस्करण व "दैनिक भास्कर" उदयपुर संस्करण में दिनांक 25.10.2011 को प्रकाशन करवाया गया। सार्वजनिक हित में व्यापक प्रचार-प्रसार की दृष्टि से अधिसूचना के पब्लिक नोटिस दिनांक 25.01.2012 सम्बन्धित को जारी कर जरिए आवासीय अभियन्ता तामील करवाए गये जिनकी अन्तिम तामिली की दिनांक 11.12.2012 अंकित की गयी है। इस प्रकार धारा 4(1) की अन्तिम प्रकाशन की तिथि 11.12.2012 निश्चित की गयी है।

प्रकरण में धारा 4(1) के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त सभी आपत्तियों का निस्तारण कर राज्य सरकार को धारा 5ए के तहत मौका रिपोर्ट दिनांक 18.09.2013 को प्रेषित की गई जिसमें सम्पूर्ण भूमि कुल रकबा 07-15 बीघा की धारा 6 की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया। राज्य सरकार द्वारा धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 05.12.2013 को कुल रकबा 07-15 बीघा की जारी की गयी थी। अधिसूचना का राजस्थान के राजपत्र के विशेषांक में दिनांक 12.12.2013 को प्रकाशन करवाया गया तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों "दैनिक भास्कर" उदयपुर व "राजस्थान पत्रिका" बांसवाड़ा संस्करण में दिनांक 17.09.2014 को प्रकाशन करवाया गया। पब्लिक नोटिस अन्तर्गत धारा 6(2) दिनांक 07.10.2014 को जारी कर जरिए आवासीय अभियन्ता तामील करवाये गये जिसके अनुसार अन्तिम तामिली की दिनांक 11.11.2014 अंकित की गई। अवाप्ति प्रक्रिया में आगे व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सार्वजनिक हित में धारा 9(1) के पब्लिक नोटिस दिनांक 16.03.2015 एवं धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस दिनांक 17.06.2016 को जारी कर जरिए आवासीय अभियन्ता तामील करवाये गये जिसमें खातेदारों से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के क्रम में विकसित भूखण्ड लेने का विकल्प भी प्रस्तुत किया जा सकता है, बाबत सूचित किया गया। धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस के क्रम में किसी भी खातेदार ने विकसित भूखण्ड देने का विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं किया।

भूमि का विवरण धारा 6 की अधिसूचना के अनुसार निम्न प्रकार है :-

राजस्थान आवासन मण्डल
नगरीय विकास विभाग
जयपुर

ग्राम लक्ष्मणपुरा एवं गोवाड़ी, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर में कुल रकबा 07-15 बीघा में
अवाप्ताधीन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

ग्राम :- लक्ष्मणपुरा।

क्र. स.	खसरा नम्बर	रकबा बीघा-बिस्वा	भूमि किस्म	प्रस्तावित रोड़ के भीतर आने वाली भूमि बीघा -बिस्वा	वर्तमान खातेदार का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	239	1.10	रा. I 1.06 रास्ता 0.04	0.05	भगु पिता वेलजी डामोर भील सा. गोवाड़ी फला-कानड कुआं खातेदार	
2	251	0.19	सु. I	0.01	फकीरा पि. वाला भील सा. देह खातेदार	
3	252	0.09	सु. II	0.01	हाजीया काली पि. फुला धनु बेवा फुला 1/2 वेचात पि. धुला 1/2 भील सा. देह खातेदार	
4	253	0.14	मगरी 0.06 रास्ता 0.08	0.14	बिलानाम	
5	255	0.14	रा. I	0.02	खलो गोतम मनजी पि. जगजी भील सा. देह खातेदार	
6	256	0.07	रा. I	0.03	भगु पिता वेलजी डामोर भील सा. गोवाड़ी फला कानड कुआं खातेदार	
7	260	0.12	बीड	0.01	खलो गोतम मनजी पि. जगजी भील सा. देह खातेदार	
8	261	0.05	बीड	0.01	फकीरा पि. वाला भील सा. देह खातेदार	
9	262	0.07	सु. III	0.01	बसदर	
10	263	14.06	चारागाह	0.06	चारागाह	
11	264	0.17	सु. II 0.11 मंबोड 0.04	0.06	इन्दिरा पत्नी मावा ननोमा भील सा. देह खातेदार	
12	265	0.15	सु. I 0.13 रास्ता 0.02	0.03	फकीरा पि. वाला भील सा. देह खातेदार	
	266	1.00	सु. I	0.03	बसदर	
13	267	0.07	रास्ता	0.07	बिलानाम	
14	268	0.10	रा. I	0.03	खलो गोतम मनजी पि. जगजी भील सा. देह खातेदार	
15	269	0.03	रास्ता	0.03	बिलानाम	
16	270	0.13	रा. II	0.01	फकीरा पि. वाला भील सा. देह खातेदार	
17	273	0.19	सु. III	0.08	बसदर	
18	274	4.15	मगरी	0.17	बिलानाम	
कुल योग				4.06		

ग्राम :- गोवाड़ी।

क्र. स.	खसरा नम्बर	रकबा बीघा/बिस्वा	भूमि किस्म	प्रस्तावित रोड़ के भीतर आने वाली भूमि (बीघा -बिस्वा)	वर्तमान खातेदार का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	4006 / 1	0-05	आबादी आवासीय	0.01	भगु पिता होमाजी बामणीया भील, धनजी पिता नाथु बामणीया भील सा. चिबुडा खातेदार	
	4005	0-11	आबादी आवासीय	0.01		
	4004	0-13	आबादी आवासीय	0.01		
योग	3	1.09		0.03		

संयुक्त शासन सचिव
नगरीय विकास
शासन सचिवालय

443

2.	4003	0-16	आबादी आवासीय	0.02	कमजी पि. नाथु भील सा. देह फला कानड कुआं खातेदार
योग	1	0.16		0.02	
3.	4015	1-02	आबादी आवासीय	0.01	थावरा पि. वेलजी डामोर भील सां. देह फला कानड कुआं खातेदार
योग	1	1.02		0.01	
4.	4016	0-07	आबादी आवासीय	0.01	पनु पिता हक्सी सरपोटा भील सा. ओड खातेदार
	4017	0-07	आबादी आवासीय		
योग	2	0.14		0.01	
5.	4018	0-19	सु.-II	0.02	नासीर हुसैन शब्बीर हुसैन पि. इब्राहीम बोहरा कपड़ा वाला सा. देह हाल सागवाड़ा खातेदार
योग	1	0.19		0.02	
6.	4019	0-13	सु.-II	0.02	रमेश पिता किक्किया भीणा सा. देह खातेदार
	4022	1-10	सु.-II	0.05	
योग	2	2.03		0.07	
7.	4041	0-15	सु.-I	0.05	करुपा पिता नानीया भील सा. देह हडमाला खातेदार
	4047	1-07	सु.-I	0.09	
	4049	0-06	बीड़	0.03	
	4048	0-10	सु.-II	0.01	
योग	4	2.12		0.18	
8.	4040	1-01	पडत 0.01 सु.-I 0.15	0.06	हीरालाल पिता वेलजी डागोर भील सा. देह फला कानड कुआं खातेदार
योग	1	1.01		0.06	
9.	4024	0-18	सु.-I	0.05	भगू थावरा हिरा तुलसी कचरी भोती पिता वेलजी भील सा. देह खातेदार
योग	1	0.18		0.05	
10.	3993	0-17	आबादी आवासीय	0.01	विरमल पिता भगवान डेण्डोर जाति भील सा. घाटा माविता खातेदार
योग	1	0.17		0.01	
11.	3996	0-08	आबादी आवासीय	0.01	सविता पत्नी पनू सरपोटा भील सा. ओड खातेदार
योग	1	0.08		0.01	
12.	3997	0-17	आबादी आवासीय	0.01	आबादी बिलानाम सनददारी कमला पत्नी खातरा भील (सरपोटा) सा. लक्ष्मणपुरा
योग	1	0.17		0.01	
13.	3998	0-16	सु.-I	0.02	हकरु पिता भाणा भील सा. देह खातेदार
योग	1	0.16		0.02	
14.	3949	0-03	रेछा 0.02 सु.-I 0.01	0.01	रमण पिता कचरु भील सा. देह सागवाड़ा खातेदार
योग	1	0.03		0.01	
15.	3949 / 1	0-03	आबादी	0.01	बिलनाम निवास स्थान एवम् बरुनीया
योग	1	0.03		0.01	
16.	4001	0-10	आबादी आवासीय	0.01	आबादी बिल नाम सनदधारी रमेश पिता किक्किया भील सा. गोवाडी
योग	1	0.10		0.01	
17.	4002	0-07	पडत बिलानाम	0.07	बिलानाम
	4023	0-12	पडत बिलानाम	0.09	

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय
नगरीय विकास विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

444

योग	2	0.19		0.16	
	कुल योग			3.9	

प्रश्नगत भूमि के अन्तर्गत धारा 9(1) के पब्लिक नोटिस एवं खातेदारों को व्यक्तिगत नोटिस धारा 9(3) के जारी किये जिसके सन्दर्भ में निम्नलिखित खसरो के अन्तर्गत हितधारियों ने आपत्तियां प्रस्तुत की जिनकी एक प्रति सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 07.09.2016 प्रेषित की जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

खसरा नं. 4016 व 4017 में प्रार्थी श्री गोकलजी मोराजी वगैरह ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हमारे द्वारा भूखण्ड 24 X 44 फिट तथा रास्ता 6 फिट की रजिस्ट्री रजिस्ट्रार कार्यालय सागवाडा में दिनांक 04.11.2009 में करवा दी गई है। अतः मुआवजा हमें दिलवाया जावे।

प्रकरण में दस्तावेजों का अवलोकन किया गया प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में रजिस्ट्री व उप खण्ड अधिकारी सागवाडा का संपरिवर्तन आदेश की छाया प्रति प्रस्तुत की है लेकिन स्वामित्व सम्बन्धी कागजात अर्थात् कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना स्वीकार्य नहीं है।

खसरा नं. 4015 में प्रार्थी श्री गोकलजी मोराजी वगैरह ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हमारे द्वारा 0.01 बिस्वा भूमि रजिस्ट्री रजिस्ट्रार कार्यालय सागवाडा में दिनांक 15.02.2010 में करवा दी गई है। अतः मुआवजा हमें दिलवाया जावे।

प्रकरण में दस्तावेजों का अवलोकन किया गया प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में रजिस्ट्री व उप खण्ड अधिकारी सागवाडा का संपरिवर्तन आदेश की छाया प्रति सहित जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। प्रार्थी का नाम धारा 4(1) की दिनांक के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ है तथा क्रय धारा 4(1) के प्रकाशन से पूर्व की है। इस से स्पष्ट है कि भूमि में स्वामित्व विवादित होने के कारण नकद मुआवजा निर्धारित कर सक्षम न्यायालय को रेफर किया जा रहा है।

खसरा नं. 3996 में प्रार्थी मन्जुला, रेखा पण्ड्या, गीता, पायल पण्ड्या, धुली ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हमारे द्वारा भूखण्ड 23 X 60 फिट तथा रास्ता 13 फिट की रजिस्ट्री रजिस्ट्रार कार्यालय सागवाडा में दिनांक 30.10.2009 में करवा दी गई है। अतः मुआवजा हमें दिलवाया जावे।

प्रकरण में दस्तावेजों का अवलोकन किया गया प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में रजिस्ट्री व उप खण्ड अधिकारी सागवाडा का संपरिवर्तन आदेश की छाया प्रति प्रस्तुत की है लेकिन स्वामित्व सम्बन्धी कागजात अर्थात् कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना स्वीकार्य नहीं है।

खसरा नं. 4003 में प्रार्थी केदरजी, मानजी पाटीदार ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हमारे द्वारा 0.02 बिस्वा भूमि रजिस्ट्री रजिस्ट्रार कार्यालय सागवाडा में दिनांक 17.11.2010 में क्रय की है। अतः मुआवजा हमें दिलवाया जावे।

प्रकरण में दस्तावेजों का अवलोकन किया गया प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में रजिस्ट्री व उप खण्ड अधिकारी सागवाडा का संपरिवर्तन आदेश की छाया प्रति सहित जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। प्रार्थी का नाम धारा 4(1) की दिनांक के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद

श्री सचिव-द्वि
नगर विकास विभा
शासन सचिवालय, ज

हुआ है तथा क्रय धारा 4(1) प्रकाशन से पूर्व की है। इस से स्पष्ट है कि भूमि में स्वामित्व विवादित होने के कारण नकद मुआवजा निर्धारित कर सक्षम न्यायालय को रेफर किया जा रहा है।

भूमि का मुआवजा निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता से धारा 4(1) की अधिसूचना की दिनांक 04.08.2011 को प्रचलित भूमि की डी.एल.सी. दरों की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी, सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस व तकमीना मंगवाने हेतु आवासीय अभियन्ता को दिनांक 19.04.2012, 29.05.2012, 17.09.2012, 02.11.2012 को सूचित किया गया। जिसके जवाब में आवासीय अभियन्ता ने दिनांक 16.08.2013 को डी.एल.सी. दरों, खसरा वार मौका रिपोर्ट, जमाबन्दी, व नक्शा प्रेषित किया। इस के उपरान्त अवार्ड निर्धारण बाबत राज्य में लागू नवीन अधिनियम की धारा 23 के तहत किये जाने हेतु धारा 4(1) की अधिसूचना दिनांक 04.08.2011 से पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान ग्राम लक्ष्मणपुरा एवं गोवाड़ी तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र में अवाप्ताधीन भूमि की समकक्ष भूमि के लिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेखों के आधार पर औसत विक्रय मूल्य क्या रहा था योजना नगर पालिका सांगवाडा क्षेत्राधिकार में अवस्थित है अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है की सूचना आवासीय अभियन्ता से पत्र दिनांक 13.04.2015, 05.06.2015, 10.07.2015 व उप पंजीयक सांगवाडा से पत्र दिनांक 13.04.2015, 05.06.2015 व 10.07.2015 के द्वारा चाही गई। जिसके प्रत्युत्तर में आवासीय अभियन्ता ने अपने पत्र दिनांक 14.09.2015 व 21.09.2016 के द्वारा उप पंजीयक सांगवाडा की डी.एल.सी. दरों व सांगवाडा के ग्रामीण क्षेत्राधिकार में अवस्थित होने बाबत सूचित किया साथ ही ये भी अवगत करवाया कि उक्त अवाप्ताधीन भूमि में मौके पर किसी तरह का मकान, निर्माण, वृक्ष, कुआ, बाकूण्डीवाल आदि नहीं है।

उप पंजीयक सांगवाडा से प्राप्त डी.एल.सी. दरों (औसत विक्रय मूल्य वर्ष 2008, 2009, 2010) निम्न प्रकार से है।

पंजीबद्ध दस्तावेजों के अनुसार जो कि (डी.एल.सी. दरों के अनुसार) न्यूनतम एवं अधिकतम प्रतिफल राशी प्रति बीघा

ग्राम गोवाड़ी।

क्र. सं.	वर्ष	दर प्रति बीघा		
		सड़क आबादी से दूर		
		सीरमा	सुखी	अन्य
1.	2008	52,000	40,000	40,000
2.	2009	57,200	44,000	44,000
3.	2010	62,920	60,500 -	48,400

ग्राम लक्ष्मणपुरा।

क्र. सं.	वर्ष	दर प्रति बीघा		
		सड़क आबादी से दूर		
		सीरमा	सुखी	अन्य
1.	2009	25,300	20,900	19,800
2.	2010	27,830	26,015	22,990

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय
नगरीय विकास विभाग
शासन सचिवालय, जय

वर्ष 2011 की डी.एल.सी. (कृषि) दरें उप पंजीयक सांगवाडा के अनुसार निम्न प्रकार से है।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	वर्ष	दर प्रति बीघा असिंचित	
			सीरमा सड़क आबादी से दूर	सुखी व अन्य सड़क आबादी से दूर
1.	गोवाड़ी	2011	72,358	55,660
2.	लक्ष्मणपुरा	2011	32,005	26,439

वर्ष 2011 की डी.एल.सी. (आवासीय) दरें उप पंजीयक सांगवाड़ा के अनुसार निम्न प्रकार से हैं।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	वर्ष	आवासीय दर प्रति वर्गफिट
			सड़क से दूर
1.	गोवाड़ी	2011	56
2.	लक्ष्मणपुरा	2011	34

दर का निर्धारण :- अधिसूचना में खातेदारों की भूमि में तीन वर्षों के पंजीबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, डी.एल.सी. के न्यूनतम/अधिकतम दरों का भी अवलोकन किया गया जो कि सम्बन्धित वर्ष की डी.एल.सी. दरों से कम होने के कारण मुआवजा निर्धारण का आधार सम्बन्धित वर्ष 2011 को प्रचलित डी.एल.सी. ग्राम लक्ष्मणपुरा 26,439/- रुपये प्रति बीघा व ग्राम गोवाड़ी 55,660/- रुपये प्रति बीघा बनती है तथा आवासीय दर प्रति वर्गफिट ग्राम गोवाड़ी में 56 रुपये व ग्राम लक्ष्मणपुरा में 34 रुपये बनती है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार तीन वर्षों का औसत विक्रय मूल्य और धारा 4(1) के समय प्रचलित डी.एल.सी. दर में जो अधिक होगा मुआवजा स्वरूप वह देय होगा। अतः मेरी राय में अवाप्ताधीन सम्पूर्ण कृषि भूमि की आवासीय योजना हेतु उपयुक्तता एवं भविष्य में होने वाले विकास तथा पौटेन्शियलटी को ध्यान में रखते हुये भू-अर्जन अधिनियम की धारा 26 में वर्णित दिग्दर्शकों के अनुसरण में तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त समस्त अवाप्ताधीन भूमि ग्राम लक्ष्मणपुरा एवं गोवाड़ी का उपयोग रोड़ प्रयोजनार्थ किया जायेगा। अतः निम्नानुसार दर निर्धारण करना उचित समझता हूँ।

कृषि भूमि की दर।

1. ग्राम लक्ष्मणपुरा :- 26,439/- रुपये प्रति बीघा अर्थात् 1,321/- प्रति बिस्वा।
2. ग्राम गोवाड़ी :- 55,660/- रुपये प्रति बीघा अर्थात् 2,783/- प्रति बिस्वा।

आवासीय भूमि की दर।

1. ग्राम लक्ष्मणपुरा :- 34 रुपये प्रति वर्ग फिट।
2. ग्राम गोवाड़ी :- 56 रुपये प्रति वर्ग फिट।

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल डूंगरपुर ने अपने पत्र दिनांक 14.09.2018 को अवगत करवाया है कि ग्राम लक्ष्मणपुरा एवं गोवाड़ी अवाप्ताधीन भूमि के समस्त खसरे सांगवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत मुआवजा निर्धारण करते समय अनुसूची प्रथम के अनुसार ग्राम लक्ष्मणपुरा एवं गोवाड़ी ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण बाजार मूल्य कारक 1.25 से

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय
ग्रामीण विकास विभाग
आवासन सचिवालय, जयपुर

गुणित किया जावेगा इस दशा में जो निर्धारण उपरोक्तानुसार किया गया है उसी अनुसार मुआवजा देय है। उपरोक्त के अलावा शत प्रतिशत तोषण (Solatium) देय होगा।

मुआवजे की गणना निम्नानुसार है :-

ग्राम लक्ष्मणपुरा।

क्र. सं.	वाद सं.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	प्र. रोड़ के भीतर आने वाली भूमि बीघा -बिस्वा	नगद मुआवजा	
1.	7(32)/11/01	भगु पिता वेलजी डामोर भील सा. गोवाडी फला कानड कुआ खातेदार	239	0.05	1,321 प्रति बिस्वा भूमि कीमत 6,605 गुणित 1.25	8,256
					तकमीना	शून्य
					योग अ	8,256
					100 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	8,256
					योग अ+ब	16,512
2.	7(32)/11/02	फकीरा पि. वाला भील सा. देह खातेदार	251	0.01	1,321 प्रति बिस्वा भूमि कीमत 1,321 गुणित 1.25	1,651
					तकमीना	शून्य
					योग अ	1,651
					100 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	1,651
					योग अ+ब	3,302
3.	7(32)/11/03	हाजीया काली पि. फुला धनु बेवा फुला 1/2 वेचात पि. धुला 1/2 भील सा. देह खातेदार	252	0.01	1,321 प्रति बिस्वा भूमि कीमत 1,321 गुणित 1.25	1,651
					तकमीना	शून्य
					योग अ	1,651
					100 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	1,651
					योग अ+ब	3,302
4.	7(32)/11/04	बिलांनाम	253	0.14	राजकीय भूमि होने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
5.	7(32)/11/05	खलो गोतम मनजी पि. जगजी भील सा. देह खातेदार	255	0.02	1,321 प्रति बिस्वा भूमि कीमत 2,642 गुणित 1.25	3,302
					तकमीना	शून्य
					योग अ	3,302
					100 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	3,302
					योग अ+ब	6,604
6.	7(32)/11/06	भगु पिता वेलजी डामोर भील सा. गोवाडी फला कानड कुआ खातेदार	256	0.03	1,321 प्रति बिस्वा भूमि कीमत 3,963 गुणित 1.25	4,953
					तकमीना	शून्य
					योग अ	4,953
					100 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	4,953
					योग अ+ब	9,906
7.	7(32)/11/07	खलो गोतम मनजी पि. जगजी भील सा. देह	260	0.01	1,321 प्रति बिस्वा भूमि कीमत 1,321	1,651

संयुक्त शासन सचिव-द्वि
नगरीय विकास विभा
नगरपालिका

		खातेदार			गुणित 1.25	
					तकमीना	शून्य
					योग अ	1,651
					100 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	1,651
					योग अ+ब	3,302
8.	7(32)/11/08	फकीरा पि. वाला भील सा. देह खातेदार	261	0.01	1,321 प्रति बिस्वा भूमि कीमत 1,321 गुणित 1.25	1,651
					तकमीना	शून्य
					योग अ	1,651
					100 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	1,651
					योग अ+ब	3,302
9.	7(32)/11/09	बसदर	262	0.01	1,321 प्रति बिस्वा भूमि कीमत 1,321 गुणित 1.25	1,651
					तकमीना	शून्य
					योग अ	1,651
					100 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	1,651
					योग अ+ब	3,302
10.	7(32)/11/10	चारागाह	263	0.06	राजकीय भूमि होने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
11.	7(32)/11/11	इन्दिरा पत्नी मावा ननोमा भील सा. देह खातेदार	264	0.06	1,321 प्रति बिस्वा भूमि कीमत 7,926 गुणित 1.25	9,907
					तकमीना	शून्य
					योग अ	9,907
					100 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	9,907
					योग अ+ब	19,814
12.	7(32)/11/12	फकीरा पि. वाला भील सा. देह खातेदार	265	0.03	1,321 प्रति बिस्वा भूमि कीमत 3,963 गुणित 1.25	4,953
					तकमीना	शून्य
					योग अ	4,953
					100 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	4,953
					योग अ+ब	9,906
		बसदर	266	0.03	1,321 प्रति बिस्वा भूमि कीमत 3,963 गुणित 1.25	4,953
					तकमीना	शून्य
					योग अ	4,953
					100 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	4,953
					योग अ+ब	9,906
13.	7(32)/11/13	बिलानाम	267	0.07	राजकीय भूमि होने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
14.	7(32)/11/14	खलो सौतम मनजी पि. जगजी भील सा. देह खातेदार	268	0.03	1,321 प्रति बिस्वा भूमि कीमत 3,963 गुणित 1.25	4,953
					तकमीना	शून्य

संयुक्त शासन सचिव-
राजकीय विकास नि
शासन सचिवालय,

					योग अ	4,953
					100 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	4,953
					योग अ+ब	9,906
15.	7(32)/11 / 15	विलानाम	269	0.03	राजकीय भूमि होने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
16.	7(32)/11 / 16	फकीरा पि. वाला भील सा. देह खातेदार	270	0.01	1,321 प्रति बिस्वा भूमि कीमत 1,321 गुणित 1.25	1,651
					तकमीना	शून्य
					योग अ	1,651
					100 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	1,651
					योग अ+ब	3,302
17.	7(32)/11 / 17	बसदर	273	0.08	1,321 प्रति बिस्वा भूमि कीमत 10,568 गुणित 1.25	13,210
					तकमीना	शून्य
					योग अ	13,210
					100 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	13,210
					योग अ+ब	26,420
18.	7(32)/11 / 18	विलानाम	274	0.17	राजकीय भूमि होने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
ग्राम :- गोवाड़ी।						
1.	7(32)/11 / 19	भगु पिता होमाजी बामणीया भील, धनजी पिता नाथु बामणीया भील सा. चिबुडा खातेदार।	4006/1	0.01	भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आदेश किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कास्तकार/भूखण्डधारी के पक्ष में जारी कर दिया है तो उस भूमि का वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भूखण्डधारी को भूमि की आवासीय दर ग्राम गोवाड़ी के लिये 56/- रुपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा राशि की गणना की जा सकेंगी।	
			4005	0.01		
			4004	0.01		
			योग	0.03		
2.	7(32)/11 / 20	कमजी पि. नाथु भील सा. देह फला कानड कुआं खातेदार	4003	0.02	भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आदेश किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कास्तकार/भूखण्डधारी के पक्ष में जारी कर दिया है तो उस भूमि का वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भूखण्डधारी को भूमि की आवासीय दर ग्राम गोवाड़ी के लिये 56/- रुपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा राशि की गणना की जा सकेंगी।	
					सक्षम न्यायालय का रेफर।	

सचिव-द्वितीय
विकास विभाग
सचिवालय, जयपुर

458

3.	7(32)/11 /21	थावरा पि. वेलजी डामोर भील सा. देह फला कानड कुआं खातेदार	4015	0.01	भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आदेश किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कास्तकार/ भूखण्डधारी के पक्ष में जारी कर दिया है तो उस भूमि का वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भूखण्डधारी को भूमि की आवासीय दर ग्राम गोवाड़ी के लिये 56/- रुपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा राशि की गणना की जा सकेंगी। सक्षम न्यायालय का रेफर।	
4.	7(32)/11 /22	पनु पिता हक्सी सरपोटा भील सा. ओड खातेदार	4016 4017	0.01	भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आदेश किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कास्तकार/ भूखण्डधारी के पक्ष में जारी कर दिया है तो उस भूमि का वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भूखण्डधारी को भूमि की आवासीय दर ग्राम गोवाड़ी के लिये 56/- रुपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा राशि की गणना की जा सकेंगी।	
5.	7(32)/11 /23	नासीर हुसैन शब्बीर हुसैन पि. इब्राहीम बोहरा कपड़ा वाला सा. देह हाल सागवाड़ा खातेदार	4018	0.02	2,783 प्रति बिस्वा भूमि कीमत 5,566 गुणित 1.25	6,957
				तकमीना	शून्य	
				योग अ	6,957	
				100 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	6,957	
				योग अ+ब	13,914	
6.	7(32)/11 /24	दुर्गा देवी पत्नि किशोर कुमार डेन्डौर मीणा सा. देह खातेदार	4019/1 4019/2	0.02	भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आदेश किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कास्तकार/ भूखण्डधारी के पक्ष में जारी कर दिया है तो उस भूमि का वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भूखण्डधारी को भूमि की आवासीय दर ग्राम गोवाड़ी के लिये 56/- रुपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा राशि की गणना की जा सकेंगी।	
		सुनिता देवी पत्नि मोहन लाल अहारी मीणा सा. बडियो का डूंगरा साबवाडा।	4022/1 4042/2	0.05	भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आदेश किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कास्तकार/ भूखण्डधारी के पक्ष में जारी कर दिया है तो उस भूमि का वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भूखण्डधारी को भूमि की आवासीय दर ग्राम गोवाड़ी के लिये 56/- रुपये प्रति	

शासन सचिव-
ग्रामीण विकास वि.
शासन सचिवालय.

451

					वर्गफीट की दर से मुआवजा राशि की गणना की जा सकेंगी।	
7.	7(32)/11/25	करुपा पिता नानीया भील सा. देह हडमाला खातेदार	4041	0.05	2,783 प्रति बिस्वा भूमि कीमत 2,78,318 गुणित 1.25	3,47,897
			4047	0.09	तकमीना	शून्य
			4049	0.03	योग अ	3,47,897
			4048	0.01	100 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	3,47,897
			योग	0.18	योग अ+ब	6,95,795
8.	7(32)/11/26	हिरालाल पिता वेलजी डामोर भील सा. कानड कुआ खातेदार। रहन :- डूगरपुर बांसवाडा ग्रामीण बैंक शाखा ग्रामडा-ब्राहमणीया हिस्सा हिरा का	4040	0.06	2,783 प्रति बिस्वा भूमि कीमत 16,698 गुणित 1.25	20,872
					तकमीना	शून्य
					योग अ	20,872
					100 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	20,872
					योग अ+ब	41,745
9.	7(32)/11/27	भगू थावरा हीरा तुलसी कचरी, केसर, मोती पिता वेलजी भील सा. देह खातेदार। रहन :- डूगरपुर बांसवाडा ग्रामीण बैंक शाखा ग्रामडा-ब्राहमणीया हिस्सा भगू का	4024	0.05	2,783 प्रति बिस्वा भूमि कीमत 13,915 गुणित 1.25	17,393
					तकमीना	शून्य
					योग अ	17,393
					100 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	17,393
					योग अ+ब	34,787
10.	7(32)/11/28	लक्ष्मण लाल पि. प्रेम जी मोई 1/3 मोहन लाल पि. जगन्नाथ मेहता 1/3 सा. सागवाडा विमल कुमार पिता धनजी प्रजापत कुम्हार 1/3 सा. कराडा खातेदार।	3993	0.01	भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आदेश किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कास्तकार/भूखण्डधारी के पक्ष में जारी कर दिया है तो उस भूमि का वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भूखण्डधारी को भूमि की आवासीय दर ग्राम गोवाड़ी के लिये 56/- रुपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा राशि की गणना की जा सकेंगी।	
11.	7(32)/11/29	सविता पत्नी पनू सरपोटा भील सा. ओड खातेदार	3996	0.01	भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आदेश किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कास्तकार/भूखण्डधारी के पक्ष में जारी कर दिया है तो उस भूमि का वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भूखण्डधारी को भूमि की आवासीय दर ग्राम गोवाड़ी के लिये 56/- रुपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा राशि की गणना की जा सकेंगी।	

21/

भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आदेश किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कास्तकार/भूखण्डधारी के पक्ष में जारी कर दिया है तो उस भूमि का वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भूखण्डधारी को भूमि की आवासीय दर ग्राम गोवाड़ी के लिये 56/- रुपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा राशि की गणना की जा सकेंगी।

सचिव-डिप्टी
शासन विकास विभाग
जिला सचिवालय, ज

12.	7(32)/11/30	आबादी बिलानाम सनददारी।	3997	0.01	राजकीय भूमि होने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है। धारा 4(1) की दिनांक के समय जमाबन्दी में सनददारी का नाम दर्ज नहीं था। धारा 4(1) विज्ञप्ति में सहवन से सनददार का नाम दर्ज होना प्रतीत होता है।	
13.	7(32)/11/31	हकरू पिता भाणा भील सा. देह खातेदार	3998	0.02	भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आदेश किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कास्तकार/भूखण्डधारी के पक्ष में जारी कर दिया है तो उस भूमि का वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भूखण्डधारी को भूमि की आवासीय दर ग्राम गोवाड़ी के लिये 56/- रुपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा राशि की गणना की जा सकेंगी।	
14.	7(32)/11/32	रमण पिता कचरू भील सा. देह सागवाड़ा खातेदार	3949	0.01	2,783 प्रति बिस्वा भूमि कीमत 2,783 गुणित 1.25	3,478
				तकमीना	शून्य	
				योग अ	3,478	
				100 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	3,478	
				योग अ+ब	6,957	
15.	7(32)/11/33	बिलानाम निवास स्थान एवम् बरुनीया	3949/1	0.01	राजकीय भूमि होने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
16.	7(32)/11/34	आबादी बिला नाम सनदधारी।	4001	0.01	राजकीय भूमि होने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है। धारा 4(1) की दिनांक के समय जमाबन्दी में सनददारी का नाम दर्ज नहीं था। धारा 4(1) विज्ञप्ति में सहवन से सनददार का नाम दर्ज होना प्रतीत होता है।	
17.	7(32)/11/35	बिलानाम	4002	0.07	राजकीय भूमि होने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
			4023	0.09		
			योग	0.16		

ग्राम गोवाड़ी के क्र.सं. 06, 09, 10, 12, 13, 16, पर राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन वर्तमान जमाबन्दी में विरासत से हुए परिवर्तन एवं 04.08.2011 से पूर्व बेचान के कारण स्वीकार किया है।

ग्राम लक्ष्मणपुरा एवं गोवाड़ी, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर में कुल रकबा 07-15 बीघा भूमि अवाप्ताधीन है। अतः सम्पूर्ण भूमि का अर्वाङ्ग भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(क) के तहत प्रेषित किया जा रहा है।

खातेदारों को उपयुक्त मुआवजा राशि के अतिरिक्त भूमि की कीमत पर धारा 23(1)ए के नियमानुसार 12 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि धारा 4(1) के अन्तिम नोटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन से भूमि पर कब्जा लेने या अवार्ड जारी करने तक की दिनांक जो भी पहले से न्यायालय में स्थगन की अवधि यदि कोई हो तो छोड़कर देय होगा साथ ही भू-अर्जन अधिनियम धारा 34 के अनुसार कब्जे की दिनांक से नहीं भुगतान की गयी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से 1 वर्ष की अवधि तक तथा 1 वर्ष के पश्चात् भुगतान की जाने वाली राशि पर भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा जो कि मुआवजा भुगतान में देरी ना हो उपरोक्तानुसार गणना मण्डल स्तर पर की जा सकेगी।

संरचनाओं (स्थाई व अस्थाई निर्माण) का मूल्यांकन आवासीय अभियन्ता से प्राप्त तकमीना रिपोर्ट जो कि प्रचलित बी.एस.आर. की दरों पर आधारित होती है के अनुसार तय की जाती है। लेकिन आवासीय अभियन्ता खण्ड डूंगरपुर ने अपने पत्र दिनांक 21.09.2016 में सूचित किया की मौके पर किसी तरह का मकान, निर्माण, वृक्ष, कुआ, बाऊण्ट्रीवाल आदि नहीं है। अतः प्रस्तावित तकमीना शुन्य है।

मुआवजा राशि वर्तमान जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल नामान्तरण आदि राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति एवं किसी बैंक में रहन होने की स्थिति में सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करने पर ही यथोचित पहचान उपरान्त दिया जावेगा। किसी हितधारी की मृत्यु होने की दशा में वारिसान में विवाद न होने पर नामान्तरण व हाल जमाबन्दी में अंकित उत्तराधिकारियों को हिरसेनुसार मुआवजा राशि व विकसित भूखण्ड दिये जावेंगे, किसी सक्षम सिविल/राजस्व/उच्चतर न्यायालय में विवाद विचाराधीन होने पर उक्त अवार्ड सम्बन्धित न्यायालय के आदेशों/निर्णयों के अध्याधीन होगा तथा तदनुसार संशोधित किया जा सकेगा।

अतः भूमि का अवार्ड प्रारूप आज दिनांक 14.10.2016 को तैयार कर संयुक्त शासन सचिव, प्रथम नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर को अनुमोदनार्थ दोहरी प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय
नगरीय विकास विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

(राजेन्द्र प्रसाद यादव)

विशेषाधिकारी

विशेषाधिकारी

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

459

//14//

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक प.7(32)नविवि/3/2011-पार्ट जयपुर दिनांक 07.11.2016 के द्वारा अवार्ड का अनुमोदन नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया। अतः इसी के अनुरूप उक्त अवार्ड को सरे इजलास घोषित किया जाकर मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से दिनांक8-11-16..... को जारी किया गया।

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार अवार्ड सम्बन्धित पत्रावलियों में शामिल किया जाकर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत सभी हितधारियों को अवार्ड की प्रति जरिए नोटिस सूचित किया जावे।

(राजेन्द्र प्रसाद यादव)
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-ओ.एस.डी./न.वि.वि/16/1416

दिनांक:-8-11-2016

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं

1. संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. तहसीलदार - सागवाड़ा,
4. सम्बन्धित खातेदार।
5. अवार्ड पत्रावली।

(राजेन्द्र प्रसाद यादव)
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर